उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207 से धारा 213 के अनुसरण में नगर निगम बरेली द्वारा कर निर्धारण सूची में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार उपविधि बनायी जाती हैः–

नियम व शर्तेः–

1. **नाम** – यह उपविधि नामान्तरण उपविधि नगर निगम बरेली 2018 के नाम से जानी जायेगी।
2. **अर्थ** – नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित भवन स्वामी/अध्यासी कर निर्धारण रजिस्टर हेतु स्वामित्व/अध्यासी के स्तम्भ में कर अदायगी हेतु अपने नाम परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत कर नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर नाम परिवर्तन करा सकेगा।
3. परिभाषा –
   (1) ''**नगर निगम**'' से तात्पर्य नगर निगम बरेली से है।
   (2) ''**अधिनियम**'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से हैं।
   (3) ''**नगर आयुक्त**'' से तात्पर्य नगर निगम बरेली नगर आयुक्त से है।
4. ''**भवन/भूमि**'' से तात्पर्य नगर निगम बरेली की सीमा में स्थित भवन/भूमि से हैं।
5. **अचल सम्पत्ति/मकानों के हस्तान्तरण पश्चात अभिलेखों के आधार पर कर निर्धारण सूची में परिवर्तन का आधार एवं शुल्क का निर्धारण :–**

अधिनियम की धारा 207 से 213 के अन्तर्गत तैयार की गयी कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन के आधारः–

- कोई भी संशोधन पंजीकृत अभिलेखों के आधार पर ही किये जायेंगे यथा रजिस्टर्ड बैनामा, रजिस्टर्ड वसीयत, रजिस्टर्ड बंटवारा, मा0 न्यायालय के आदशों की सत्यापित छायाप्रति, भवन स्वामी की मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड दान पत्र के साथ साथ आवेदक को प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा जो निम्नानुसार हैः–

1	भवन स्वामी की मृत्यु की दशा में नामांतरण शुल्क–	नाम परिवर्तन शुल्क – रू0 500/– 6 माह पश्चात विलम्ब शुल्क – रू0 100/– प्रति माह
2	पंजीकृत विलेख आधारित नामांतरण शुल्क–	पंजीकृत विलेख के आधार पर यदि कोई सम्पत्ति क्रय की गयी है तो उक्त सम्पत्ति पर नाम परिवर्तन पंजीकृत विलेख में उल्लिखित प्रतिफल धनराशि (वैल्यूऐशन) का 0.1 (दशमलव एक) प्रतिशत देय होगी। 6 माह पश्चात आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क – रू0 100/– प्रति माह की दर से देय होगा
3	पंजीकृत पारिवारिक सहमति के आधार पर नामांतरण शुल्क –	नाम परिवर्तन शुल्क – रू0 500/– 6 माह पश्चात आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क – रू0 100/– प्रति माह की दर से देय होगा
5	न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण शुल्क –	नाम परिवर्तन शुल्क – रू0 500/– 6 माह पश्चात आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क – रू0 100/– प्रति माह की दर से देय होगा
6	महन्ताई, शपथ पत्र, उत्तराधिकार के अधार पर नामान्तरण शुल्क	नाम परिवर्तन शुल्क – रू0 500/– 6 माह पश्चात आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क – रू0 100/– प्रति माह की दर से देय होगा
7	नामान्तरण पर विज्ञापन शुल्क के मद में	रू0 500/–

6. नगर निगम बरेली द्वारा किसी भी प्रकार के अपंजीकृत विलेख/दस्तावेज पर उ0प्र0 शासन के कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्या–क0नि0–5–177/11–2001–500(20)/2001 के क्रम में कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जायेगी।
7. अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही मा0 न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार की जायेगी।
8. नामान्तरण हेतु आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करेगा साथ ही कर निर्धारण सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
9. आवेदक द्वारा पुष्ट साक्ष्यों सहित प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचनार्थ एक माह का नोटिस एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन इस आशय से जारी करेगा कि, यदि किसी को सन्दर्भित भवन स्वामी/अध्यासी के नाम परिवर्तन पर कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप से नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
10. नियत अवधि के अन्दर यदि कोई आपत्ति नाम परिवर्तन हेतु नगर निगम को प्राप्त होती है तो नगर आयुक्त/ या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/दस्तावेजों का गुण दोष के अधार पर परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण करेगा।
11. कर निर्धारण सूची में संशोधन हेतु जारी आपत्ति नोटिस की समयावधि समाप्त होने के पश्चात नगर आयुक्त/ या उसके द्वारा इस हेतु निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नाम परिवर्तन की कार्यवाही करते हुये कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन करेगा।